नगर विकास न्यास, बीकानेर

स्वर्ण जयन्ती विस्तार आवासीय योजना में

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मानानीया मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

दीपावली के शुभ अवसर पर भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर कृपया लाभ उठावें

श्रीमान् राजपाल सिंह
माननीय नगरीय विकास
एवं स्वायत शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

Location Plan

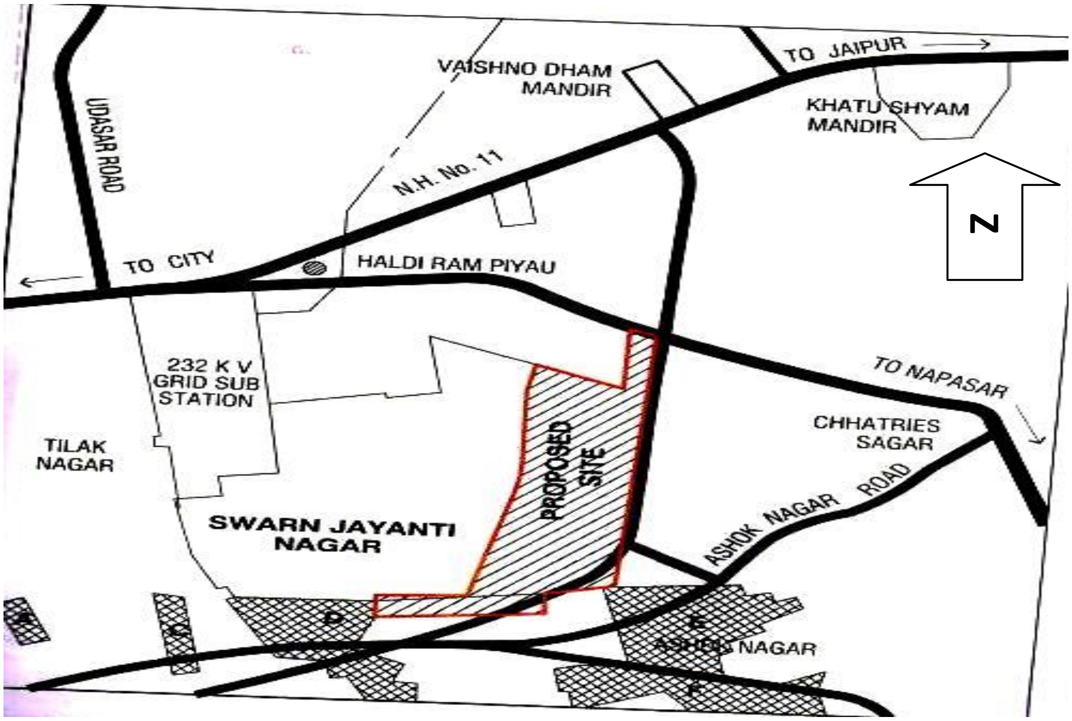

महत्वपूर्ण तिथियाँ :

ऑनलाईन आवेदन फार्म जमा कराने की आरम्भ तिथि : 26 अक्टूबर, 2016

ऑनलाईन फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि : 25 नवम्बर, 2016

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत **स्वस्थ भारत**

स्वर्ण जयंती विस्तार योजना

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- न्यास की मुख्य बहुउद्धेशीय स्वर्ण जयंती विस्तार योजना जयपुर रोड़ पर स्थित है। इस योजना में कुल 301 आवासीय भुखण्ड है। जिनमें से 204 भुखण्ड जरीये लॉटरी आवंटन किये जाने हैं।
- यह योजना रेल्वे स्टेशन से लगभग 5 कि.मी. दूरी पर तथा न्यास की विकसित आवासीय योजना जयनारायण व्यास नगर से 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है एवं इसके निकटतम स्वर्ण जयंती योजना, अशोक नगर, शौकत उस्मानी नगर, यादवेन्द्र चन्द्र शर्मा नगर इत्यादि योजनाएँ भी स्थित हैं।
- योजना की मुख्य सड़के 80 फुट चौड़ी है तथा कम से कम 30 फुट चौड़ी सड़क प्रत्येक भूखण्ड के सामने स्थित होगी।
- योजना में कई पार्क प्रस्तावित है।
- योजना में संस्थागत एवं अन्य जन उपयोगी संस्थाओं हेतु भूमि आरक्षित की गई हैं।
- योजना में बिजली पानी एवं मूलभूत सुविधाएँ शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाएगी।
- योजना में न्यास द्वारा समूह आवासीय योजना (अर्फोडेबल ग्रुप हाउसिंग) का भी प्रावधान रखा गया हैं।
- इस योजना का मानचित्र बनाया जाकर वरिष्ठ नगर नियोजक, द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्वर्ण जयंती विस्तार आवासीय योजना

1. प्रस्तावना

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा प्रदेशवासियों के लिए पूर्व में सृजित विभिन्न आवासीय योजनाओं के प्रति आमजन के उत्साह/मांग को दृष्टिगत रखते हुए इसी श्रृंखला में सभी वर्गों के लिए सुनियोजित आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु स्वर्ण जयंती विस्तार योजना में भूखण्डों का आवंटन किया जा रहा हैं। इस योजना में सामाजिक गतिविधियों हेतु भी भूमि आरक्षित हैं।

- न्यास की बहुउद्धेशीय स्वर्ण जयंती विस्तार योजना जो जयपुर रोड़ पर स्थित है, इसमें कुल 301 आवासीय भुखण्ड उपलब्ध है जिनमें से विभिन्न माप के कुल 204 भुखण्ड जरीये लॉटरी आवंटन किये जाने हैं।
- न्यास की बहुउद्धेशीय स्वर्ण जयंती विस्तार योजना जिला कलक्टर कार्यालय से 5 कि.मी. दूरी पर है एवं न्यास की विकसित आवासीय योजना जयनारायण व्यास नगर से 2 कि.मी. दूरी पर हैं।
- योजना की मुख्य सड़क 80 फुट चौड़ी होगी व कम से कम 30 फुट चौड़ी सड़क प्रत्येक भूखण्ड के आगे होगी।
- योजना में मुख्य पार्कों के अलावा कई सैक्टर पार्क प्रस्तावित हैं।
- योजना में सामाजिक गतिविधियों एवं जन उपयोगी गतिविधियों हेतु भूमि आरक्षित हैं।
- इस योजना का मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित हैं।

2. स्वर्ण जयंती विस्तार आवासीय योजना मानचित्र में भू उपयोग क्षेत्रफल का विश्लेषण निम्नानुसार है

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत
1.	आवासीय	51.32
2.	सुविधायें (O.C.F./P.U.)	10
3.	पार्क	10
4.	व्यवसायिक	2.33
5.	सड़के	23.77
6.	इनफोरमल सेक्टर	02.05

3. लॉटरी हेतु उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	माप (वर्गफुट)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल उपलब्ध भुखण्ड	आवंटन श्रैणी के उपलब्ध भुखण्ड
1	25X49=1225 वर्गफुट	113.84 वर्गमीटर	127	86
2	30X64=1920 वर्गफुट	178.43 वर्गमीटर	113	77
3	34X69=2346 वर्गफुट	218.02 वर्गमीटर	09	06
4	39X69=2691 वर्गफुट	250.09 वर्गमीटर	19	13
5	39X79=3081 वर्गफुट	286.33 वर्गमीटर	15	10
6	39X89=3471 वर्गफुट	322.58 वर्गमीटर	03	02
7	49X79=3871 वर्गफुट	359.75 वर्गमीटर	15	10
कुल योग			**301**	**204**

4. आरक्षित दर :– योजना की आरक्षित दर रु.630/– प्रति वर्गफुट रखी गई हैं।

5. आवंटन हेतु पात्रता :–

(अ) आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।

(ब) आवेदक वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदक दिनांकः–01.04.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

(स) आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (1 लाख से अधिक आबादी) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान (लीज हॉल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।

(द) नगर विकास न्यासों एवं प्राधिकरणों द्वारा गत दस वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। यदि हुआ हो तो उसका विक्रय/हस्तान्तरण 10 वर्ष से पूर्व नहीं किया हो।

6. आवेदन का वर्ग एवं आयु –

भूखण्डों के क्षेत्रफल एवं कीमत के निर्धारण का आधार आवेदक की वितीय वर्ष 2015–16 की प्रमाणित मासिक/वार्षिक सकल आय (पति/पत्नी एवं आश्रित की आय) पर निर्भर होगा। आवेदकों के सकल आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक सकल आय के आधार पर की जावेगी। कुल सकल आय में निम्नलिखित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी –

(क) स्वयं के लिए

1. वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भता, शहरी क्षतिपूर्ति भता एवं देय अन्य भते।
2. गृह/सम्पति/व्यापार से आय।
3. विनियोग से लाभ/ब्याज।
4. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रुप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में पति/पत्नी की आय

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में आश्रितों की आय

मासिक/वार्षिक आय (पति/पत्नी एवं आश्रित की आय) के आधार पर भूखण्ड हेतु पात्रता देय कीमत नीचे तालिका में दर्शायी गई हैं। निर्धारित प्रपत्र में हीं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

क्र. सं.	आय वर्ग आय प्रतिमाह (वार्षिक रु में)	कुल उपलब्ध भुखण्ड	माप (वर्गफुट)	क्षैत्रफल वर्गमीटर में	कैटेगरी							भूखण्ड आवंटन की दर (रु प्रति वर्गफुट)	पंजीकरण (धरोहर) राषि	कुल रकम
					अनु. जाति 9%	अनु. जनजाति 6%	सैनिक भूतपूर्व सैनिक पूर्व उनकी विधवायें 10%	विकलांग 3%	अधि स्वीकृत पत्रकार 2%	राज्य कर्मचारी व निकायों व बोर्डो के कर्मचारी व उनकी विधवाए 10%	सधारण वर्ग			
1	15001 से 30000 तक (1,80,012 से 3,60,000)	86	25X49= 1225 व.फु.	113.84 व.मी.	8	5	9	2	3	9	50	630/–	78000/–	771750/–
2	15001 से 30000 तक (1,80,012 से 3,60,000)	77	30X64= 1920 व.फु.	178.43 व.मी.	7	5	8	2	2	8	45	630/–	121000/–	1209600/–
3	15001 से 30000 तक (1,80,012 से 3,60,000)	06	34X69= 2346 व.फु.	218.02 व.मी.	1	–	1	–	–	1	03	630/–	148000/–	1477980/–
4	30001 से 45000 तक (3,60,012 से 5,40,000)	13	39X69= 2691 व.फु.	250.09 व.मी.	1	1	1	–	–	1	09	661/–	170000/–	1778751/–
5	30001 से 45000 तक (3,60,012 से 5,40,000)	10	39X79= 3081 व.फु.	286.33 व.मी.	1	1	1	–	–	1	06	661/–	195000/–	2036541/–
6	30001 से 45000 तक (3,60,012 से 5,40,000)	02	39X89= 3471 व.फु.	322.58 व.मी.	–	–	–	–	–	–	02	661/–	220000/–	2294331/–
7	45001 से 65000 तक (5,40,012 से 7,80,000)	10	49X79= 3871 व.फु.	359.75 व.मी.	1	1	1	–	–	1	06	693/–	245000/–	2682603/–
कुल योग		204			19	13	21	4	5	21	121			

नोटः–

1. संबंधित भूखण्ड की पंजीकरण (धरोहर) राशि में आवेदन पत्र शुल्क रुपये 500/– अतिरिक्त जोड़ते हुए जमा करवाई जानी होगी।
2. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती हैं।
3. एक आवेदक एक ही वर्ग (आय वर्ग के अनुसार) के भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक श्रेणी में यदि ओवदक स्वयं/पत्नि/पति व आश्रित सदस्य द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता हैं और लॉटरी में एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो भूखण्ड परिवार के एक सदस्य को ही मिलेगा। शेष सदस्यों/सफल आवेदकों को भूखण्ड आवंटन नहीं किये जायेंगे व जमा पंजीकरण (धरोहर) राशि में से 5 प्रतिशत राशि काट कर शेष लौटा दी जावेगी।
4. योजना के कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किए जावेंगे।
5. स्वर्ण जयंती विस्तार योजना में सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को श्रेणी एवं माप वार लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। सफल आवेदकों के पात्रता की जांच न्यास द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा। पात्रता में अनुपयुक्त पाये जाने पर आवेदक की पंजीकरण (धरोहर) राशि जब्त कर ली जावेगी। जिसे आवेदक को पृथक से सूचना प्रदत नहीं की जावेगी।

7. भूखण्डों का आरक्षण –

विभिन्न श्रेणीयों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण की तालिका नीचे दी गई है, जो व्यक्ति जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। किसी अन्य श्रेणी में आवंटन हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अनु. जाति	अनु. जनजाति	सैनिक भूतपूर्व सैनिक पूर्व उनकी विधवायें	विकलांग	अधि स्वीकृत पत्रकार	राज्य कर्मचारी व निकायों व बोर्डों के कर्मचारी व उनकी विधवाए	सधारण वर्ग
9%	6%	10%	3%	2%	10%	60%

स्पष्टीकरण

1. जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजस्थान के विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारीयों के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिए आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. अनु.जाति/अनु. जनजाति के सदस्य व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु.जाति व अनु. जनजाति के रुप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. विकलांग व्यक्ति वे है, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
4. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हें राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हैं।

5. सैनिक का अर्थ थल, जल एवं वायु सेना बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति/पत्नी उस पर आश्रित एवं उनकी विधवाओं से हैं।
6. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आयवर्ग के आवेदकों को कर दिया जावेगा।

8. आवेदन फार्म के साथ देय पंजीकरण (धरोहर) राशि

❖ सचिव नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम से आवश्यक पंजीकरण (धरोहर) राशि का भुगतान ऑनलाईन अथवा बैंक द्वारा जारी चालान के माध्यम से जमा कराना हैं।

❖ तालिका के अनुसार देय पंजीकरण (धरोहर) राशि से कम राशि जमा होने की स्थिति में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

❖ आवेदनकर्ता की वितीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त मासिक/वार्षिक आय आवेदित वर्ग से अधिक अथवा कम होने की स्थिति में आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।

❖ जिन आवेदकों के नाम पर लॉटरी द्वारा भू–खण्ड नहीं निकलेगा, उन आवेदकों को पंजीकरण (धरोहर) राशि बिना ब्याज लॉटरी ड्रॉ की दिनांक से 90 दिवस में वापिस लौटा दी जावेगी।

❖ रिफण्ड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ICICI, बैंक शाखा, बीकानेर के अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

9. कीमत भुगतान प्रक्रिया

सफल आवंटी की पंजीयन (धरोहर) राशि को समायोजित करने के पश्चात् आवंटित भूखण्ड की शेष राशि का मांग पत्र नगर विकास न्यास, बीकानेर कार्यालय से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद/बैंक ड्राफ्ट (एक सप्ताह पूर्व) वेबसाईट से चालान की प्रति प्राप्त कर सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर के नाम से एक मुश्त जमा करानी होगी।

नोटः–

❖ निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा कराई जा सकती है ब्याज आवंटन के अनुमोदन की तिथि से देय होगा।

❖ आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिवस में उपरोक्त राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं जमाशुदा पंजीकरण (धरोहर) राशि जब्त कर ली जाएगी जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

❖ राशि जमा करवाने की अवधि आवंटन पत्र प्राप्ति के दिन से प्रारम्भ होगी, अतः आवंटन पत्र प्राप्ति पर तिथि अंकित करें तथा डाक का लिफाफा भी साक्ष्य हेतु सम्भाल कर रखें।

10. भूखण्डों की कीमत के अलावा अन्य जमा कराने योग्य राशि

❖ आवंटी को निर्धारित दर से वार्षिक लीजमनी (अरबन असेस्मेंट) अगले वितीय वर्ष के लिए, अग्रिम रुप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करानी होगी। लीजमनी वर्तमान आरक्षित दर की सवा प्रतिशत प्रतिवर्ष पांच वर्ष के लिए एवं इसके बाद ढ़ाई प्रतिशत प्रतिवर्ष देय हैं। यह राशि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से पूर्व जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज/शास्ति देय होगी। प्रथम वर्ष की लीजमनी की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। इस राशि के प्रतिवर्ष भुगतान से मुक्त होने के लिए ढाई प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एक मुश्त रकम अग्रिम जमा करानी होगी।

- ❖ आवंटी पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम व आदेश भी लागू होंगे।
- ❖ स्थल मानचित्र व लीजडीड शुल्क 400/–+400/–=800/–रुपये प्रत्येक हेतु भूखण्ड की कीमत के साथ जमा कराने होंगे।

11. जमा पंजीकरण (धरोहर) राशि पर देय ब्याज

- ❖ जमा पंजीकरण (धरोहर) राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

- ❖ नियम विरुद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन फार्म/आवंटन निरस्त किया जाकर आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीकरण (धरोहर) राशि जब्त कर ली जावेगी एवं उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा, इसके साथ ही ऐसवे आवेदनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ निर्धारित अवधि में मांग पत्र की राशि बिना ब्याज/ब्याज सहित जमा नहीं होने की स्थिति में आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जाकर जमाशुदा पंजीकरण (धरोहर) राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जावंगे।
- ❖ सामान्यतः आवंटी, आवंटित भूखण्ड को 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं कर सकता हैं किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 05 वर्ष के बाद एवं 10 वर्ष से पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए आवंटी से योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जावेगी।
- ❖ आवंटी को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर 05 वर्ष के अन्दर न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त समझा जावेगा। जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा भविष्य में आवंटी को भूखण्ड आवंटन हेतु अपात्र माना जावेगा।
- ❖ आवंटी को लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा एवं भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर ही भूखण्ड का कब्जा दिया जावेगा। जारी लीजडीड को पंजियन विभाग के परिपत्र के अनुसार दो माह के अन्दर पंजीयन करवाना होगा।
- ❖ आवेदक द्वारा गलत तथ्य (आय वर्ग, आरक्षित वर्ग, कम पंजीकरण (धरोहर) राशि आदि) भरने पर लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद भी आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमाशुदा पंजीकरण (धरोहर) राशि जब्त कर ली जावेगी।
- ❖ आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, न्यास अनुमति के बिना अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्डों को मिलाकर एक बड़ा भूखण्ड बिना न्यास अनुमति के नहीं बनाया जा सकेगा।
- ❖ न्यास के पास बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्तें बदलने का अधिकार सुरक्षित हैं।
- ❖ किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा।
- ❖ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।

13. आवेदन फार्म डाउनलोड करने की विधि

1. आवेदन फार्म व योजना से संबंधित अन्य जानकारी न्यास की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/uitbikaner से डाउनलोड किया जा सकेगा। मार्गदर्शीका के अनुसार ऑनलाईन भरकर ***Submit*** करना होगा। आवेदन फॉर्म में चाहे गये समस्त प्रमाण पत्रों के क्रमांक–दिनांक को फॉर्म में निर्धारित स्थान पर आवश्यक रुप से अंकित करें। लॉटरी में सफल रहने पर सभी दस्तावेज मूल से मिलान करवाकर स्व प्रमाणित प्रतिलिपि न्यास कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन

फॉर्म शुल्क एवं पंजीकरण (धरोहर) राशि ऑनलाईन जरिये पेमेण्ट गेटवें अथवा जरीये चालान ***ICICI*, *बैंक की सभी शाखाओं में जमा करवाई जा सकती हैं।***

2. आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भरने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निम्न अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क किया जा सकता है :–
   1. श्री रोहित मखेचा, *ICICI* बैंक अधिकारी
      मोबाईल नंबर :– 9001298520
   2. श्री उमंग राजवंशी, जोन प्रभारी अधिकारी, न्यास
      मोबाईल नंबर :– 9829225547
   3. श्री भैरुरतन किराडू, जोन प्रभारी, न्यास
      मोबाईल नंबर :– 9413363737
   4. श्री नथमल व्यास, शाखा प्रभारी, न्यास
      मोबाईल नंबर :– 9414452180

14. आवेदन फार्म मय पंजीकरण राशि ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि 25 नवम्बर, 2016 बैंक कार्यसमय तक हैं।

15. आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :

यदि कोई आवेदक पंजीकरण निरस्त कराना चाहता है तो जमा राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लॉटरी पश्चात् उसको लौटा दी जावेगी परन्तु इस हेतु आवेदन लॉटरी के एक सप्ताह पूर्व करना होगा।

16. भूखण्ड का लॉटरी से आवंटनः

- ❖ लॉटरी यथाशीघ्र निकाली जायेगी जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों एवं न्यास कार्यालय की वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से अग्रिम प्रकाशित/चस्पा कर दी जावेगी। स्थान व तिथि परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।
- ❖ आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में प्रस्तुत की गई सूचना जैसे आवेदक के वर्ग के अनुसार आवेदक की सकल मासिक/वार्षिक आय, भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं पंजीकरण (धरोहर) राशि तथा आवेदक की श्रेणी के आधार पर लॉटरी रिव्यू एवं आवंटन समिति द्वारा निकाली जाकर भूखण्ड आवंटन की सूचना न्यास की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/uitbikaner पर प्रकाशित की जायेगी।
- ❖ लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच जोन स्तर पर की जायेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड न्यास द्वारा निरस्त कर दिये जायेंगे।
- ❖ आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से न्यास इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

17. असफल आवेदकों को पंजीकरण (धरोहर) राशि की वापसीः

- ❖ जमा पंजीकरण (धरोहर) राशि की वापसी आवेदक के नाम से खाते में चैक अथवा ***RTGS/NEFT*** के माध्यम से ***ICICI***, *बैंक* द्वारा 90 दिवस की अवधि में वापस की जावेगी। अतः असफल आवेदनकर्ता रिफण्ड से संबंधित सूचना के लिए ***ICICI***, बैंक बीकानेर से ही सम्पर्क करें।
- ❖ असफल आवेदन फार्मो को लॉटरी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक ही सुरक्षित रखा जावेगा। तत्पश्चात् उन्हें अनुपयोगी मानते हुए नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

18. आवेदन फार्म जमा कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को सुनिश्चित कर लेवें:

- आवेदनकर्ता स्वयं द्वारा आवेदन फार्म में पिता/पति का नाम, पता, आयवर्ग एवं श्रेणी स्पष्ट रुप से मोटे अक्षरों में भरा हुआ होना चाहिए। आवेदन फार्म को सही रुप से भरने की जिम्मेवारी आवेदक की होगी।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज स्वयं से सत्यापित होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता का वर्ग, आयवर्ग/पंजीकरण (धरोहर) राशि सही अंकित करें। गलत चिन्हित करने पर आवेदक का लॉटरी में भूखण्ड निकलने के बावजूद निरस्त किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म के निर्धारित कॉलम में आवेदक का बैंक खाता संख्या, बैंक का *IFSC* कोड, बैंक का नाम एवं शाखा का नाम आवश्यक रुप से सहीं अंकित करें ताकि लॉटरी में असफल रहने पर आवेदक को उसकी पंजीकरण (धरोहर) राशि के रिफण्ड में कोई परेशानी न हो। अगर आवेदक द्वारा उक्त विवरण गलत अंकित जाता है तो रिफण्ड के संबंध में विलम्ब की जिम्मेवारी आवेदक स्वयं की होगी।
- (1) कृपया चालान की सभी प्रतियों में आवेदक स्वयं से संबंधित समस्त जानकारी अवश्य भरें।

  (2) अपेक्षित सभी प्रमाण पत्रों के प्रारुप आवेदन पत्र में दिये गये है तथा प्रमाणित अधिकारी की श्रेणी व पद भी प्रारुप में दर्शाये गये हैं।

  (3) भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदक अपनी यूनिक आई.डी. अवश्य अंकित करें। आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना, नगर विकास न्यास, बीकानेर को प्रेषित करें।

  (4) मोबाईल नंबर आवश्यक अंकित करने होंगे।

  (5) ई–मेल हो तो उपलब्ध करायेंगे।

  (6) आधार कार्ड संख्या

  (7) भामाशाह कार्ड संख्या (यदि हो तो)

महेन्द्र सिंह (R.A.S.)
सचिव
नगर विकास न्यास, बीकानेर
फोन: 0151–2226012